प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2025

चोरी की अफवाह फैलाकर दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की अफवाह फैलाकर दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त– सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास, निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.09.2025 को रात्रि लगभग 11:00 बजे मोहल्ला पटेल नगर, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद की घटनाएँ घटित हुईं थी। विवाद का प्रारंभ "चोर–चोर" की अफवाह फैलाने से हुआ। दोनों पक्षों के लोग पूर्व से आपसी विवाद में थे। घटना स्थल पर मंजूर आलम उर्फ बुच्चा, नूर मोहम्मद पुत्र मो0 इब्राहिम, सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास, सनी पुत्र इस्लाम अली, जाबिर अली, बब्बू, आसिक अली पुत्र इस्लाम, रईश उर्फ गोलू, अनीस पुत्र जमील, अब्दुल कादिर, अब्दुल तालिब उर्फ बब्लू, आफताब पुत्र अब्दुल खालिक, चुनउ उर्फ माजिद अली पुत्र मो० अली सहित लगभग 15–20 अज्ञात व्यक्ति उपस्थित थे। ये सभी लोग हाथ में लाठी–डंडा, चाकू आदि लेकर एक–दूसरे पर हमला कर रहे थे। भीड़ ने आपस में पत्थरबाजी भी की। झगड़े में कई लोग चोटिल हुए थे। सूचना पर तत्काल को0 नगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया था। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले दोनो पक्षों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 02.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास, निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01 सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास, निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–739/25, धारा 191(2),191(3),190,109(1),115(2),131 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. कां0 अंगद शर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–541/25 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. दुर्गा प्रसाद मिश्रा उर्फ राम पुत्र श्रवण मिश्रा, 02. सुनीता (पत्नी रामगोपाल) पुत्री श्रवण मिश्रा को पड़री कृपाल नहर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 01.12.2025 को वादी अनन्तराम शुक्ला पुत्र श्री शिवकुमार शुक्ला नि0 ग्राम हरेवा शुक्ल थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी की पुत्री की शादी दिनांक 05.05.2025 को केवलपुर मारजनिक का पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के रहने वाले दुर्गा प्रसाद मिश्रा पुत्र श्रवण मिश्रा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति व उसके परिजनों द्वारा दहेज के लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 30.11.2025 को उसके पति व परिजनों द्वारा मेरी बेटी की दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में नामजद 02 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दोषी गए वांछित अभियुक्तों–01. दुर्गा प्रसाद मिश्रा उर्फ राम पुत्र श्रवण मिश्रा, 02. सुनीता (पत्नी रामगोपाल) पुत्री श्रवण मिश्रा को पड़री कृपाल नहर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. दुर्गा प्रसाद मिश्रा उर्फ राम पुत्र श्रवण मिश्रा नि0 ग्राम केवल पुर, मारजनी पुरवा थाना कोतवाली देहात गोण्डा।
02. सुनीता (पत्नी रामगोपाल) पुत्री श्रवण मिश्रा नि0 ग्राम केवल पुर, मारजनी पुरवा थाना कोतवाली देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–541/25 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 सौरभ कुमार।
02. हे0का0 विनोद सिंह।
03. म0हो0गा0 मीना वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 02.12.2025</u>

<u>बरवार समुदाय के उत्थान हेतु गोण्डा पुलिस की पहल, थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत दुल्लापुर बनकट में चौपाल आयोजित–</u>

गोण्डा। समाज के कमजोर व वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने, ग्राम स्तर पर आपराधिक प्रवृत्तियों में कमी लाने और समुदाय को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा व विकास के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से गोण्डा पुलिस द्वारा थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत दुल्लापुर बनकट में बरवार समुदाय के साथ एक व्यापक चौपाल का आयोजन किया गया। यह पहल पुलिस प्रशासन की "जन–सहभागिता आधारित सुरक्षित समाज" की नीति को मजबूत करती है। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा प्रतिभाग कर समुदाय के लोगों से संवाद स्थापित किया गया। चौपाल में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बरवार समुदाय के उन व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रेरित किया गया, जो पूर्व में किसी न किसी रूप में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। उन्हें समझाया गया कि अपराध का मार्ग न तो सुरक्षित है और न ही स्थायी। उन्होंने समुदाय के युवाओं को सामाजिक सरोकारों में शामिल होने, शिक्षा व कौशल विकास की ओर बढ़ने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने तथा परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए सम्मानजनक जीवन जीने का संदेश दिया। चौपाल में शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस चौपाल का प्रमुख उद्देश्य बरवार समुदाय के उन लोगों की समस्याओं, उनकी सामाजिक, आर्थिक बाधाओं तथा चुनौतियों को समझना था, जिनकी परिस्थितियाँ कभी–कभी उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेलती हैं। उच्चाधिकारीगण द्वारा उनका मनोबल बढ़ाकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक तरीके से पुनः स्थापित करने की प्रेरणा दी गई। गोण्डा पुलिस ने संदेश दिया कि अपराध से दूरी बनाकर शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वःरोजगार के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनना ही एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। चौपाल जैसी पहल आगे भी जारी रहेगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सकारात्मक दिशा मिल सके।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, प्र0नि0 धानेपुर सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 15 वर्ष का कारावास व रूपये 30,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.08.2020 को वादी श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव नि0 मंगलनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0–582/20, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों–01. अतुल कुमार श्रीवास्तव, 02. राय साहब श्रीवास्तव, 03. श्रीमती मंजू के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.09.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 02.12.2025 को अभियोजक श्री बसन्त शुक्ला, थाना को0 नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर का0 उत्तम राणा के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा दहेज हत्याभियुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव को दोशसिद्ध करते हुए 15 वर्ष का कारावास व 30,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा राय साहब श्रीवास्तव एवं श्रीमती मंजू आरोप में पर्याप्त सक्ष्य न मिल पाने के कारण दोषमुक्त किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र राय साहब श्रीवास्तव नि0 ग्राम जोगीबीर बभनी कानूनगो थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–582/20, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।